[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

सा.का.नि. ____ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) दवितीय संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3

2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 9 को उसके उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(2) प्रत्येक पब्लिक कंपनी, जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रारंभ से पूर्व शेयर वारंट जारी किए हैं, और जिन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं किया गया है, -

(क) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के प्रारंभ होने के तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को प्ररूप पीएएस-7 में ऐसे शेयर वारंट के ब्यौरो के बारे में सूचित करेगी; और

(ख) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के प्रारंभ होने के छह मास की अवधि के भीतर, संबंधित शेयर वारंट के धारकों से अपेक्षा करेगी कि वे कंपनी को शेयर वारंट अभ्यर्पित करें और शेयरों को अपने खाते में विभौतिकीकृत करें और इस प्रयोजन के लिए कंपनी, कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्ररूप पीएएस-8 में शेयर वारंट के धारकों के लिए एक नोटिस रखेगी और उसे किसी समाचार पत्र में उस क्षेत्र भाषा में और किसी अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में रखेगी जो उस जिले में जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक रूप से प्रसारित होगा;

(3) यदि शेयर वारंट का कोई धारक उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शेयर वारंट को अभ्यर्पित नहीं करता है, तो कंपनी ऐसे शेयर वारंट के संबंध में शेयरों को विभौतिकीकृत प्ररूप में परिवर्तित करेगी और इसे अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित करेगी।

 उक्त नियमों के नियम 9क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9ख. निजी कंपनियों द्वारा विभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना:- (1) किसी लघु कंपनी से भिन्न प्रत्येक निजी कंपनी, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अन्सार -

- (क) केवल विभौतिकीकृत रूप में ही प्रतिभूतियों को जारी करेगी; और
- (ख) इसकी सभी प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण को सुकर बनाएगी।

(2) कोई निजी कंपनी, जो 31 मार्च, 2023 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कोई लघु कंपनी नहीं है, ऐसे वित्तीय वर्ष के समापन के अठारह मास के भीतर इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करेगी। (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक निजी कंपनी, जो इस नियम का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित तारीख के पश्चात् किसी प्रतिभूति को जारी करने या प्रतिभूतियों के पुनक्रय या बोनस शेयर या अधिकार प्रस्ताव जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव देती है, तो यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा प्रस्ताव करने से पहले, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की प्रतिभूतियों की संपूर्ण धारिता, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन विभौतिकीकृत रूप में रखा गया है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट निजी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, -

(क) जो ऐसी प्रतिभूतियों को उस तारीख को या उसके पश्चात् स्थानांतरित करने का आशय रखता है जब कंपनी को इस नियम का पालन करना आवश्यक है, तो वह हस्तांतरण करने से पहले ऐसी प्रतिभूतियों को विभौतिकीकृत करेगा; या

(ख) जो संबंधित निजी कंपनी की किसी प्रतिभूति चाहे निजी नियोजन या बोनस शेयर या अधिकार प्रस्ताव के माध्यम से की उस तारीख को या उसके पश्चात् सदस्यता लेता है, जब कंपनी को इस नियम का अनुपालन करना अपेक्षित है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी विद्यमान प्रतिभूतियां ऐसी सदस्यता से पहले विभौतिकीकृत रूप में रखी गई हैं।

(5) नियम 9क के उप-नियम (4) से (10) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस नियम के अधीन प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(6) इस नियम के उपबंध सरकारी कंपनी के मामले में लागू नहीं होंगे।"।

4. उक्त नियमों के उपाबंध में, प्ररूप पीएएस-6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

> "प्ररूप पीएएस-7 (लंबित शेयर वारंटों के ब्यौरे) [नियम 9(2)(क)]

कंपनी का नाम:

सीआईएन:

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रारंभ से पूर्व जारी लंबित शेयर वारंट के ब्यौरे:-(केंद्रीय सरकार के प्रत्येक अनुमोदन के लिए, यदि एक से अधिक अवसरों पर अनुमोदन मांगा गया था)

- (i) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की तारीख
- (ii) शेयर वारंट जारी करने की तारीख
- (iii) उन शेयरों की संख्या जिनके शेयर वारंट जारी किए गए हैं।

(iv) उन व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें शेयर वारंट जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	उस व्यक्ति का	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट	सम्मिलित शेयरों
	नाम जिसे शेयर	जिसका शेयर वारंट	संख्या जिनके शेयर	की संख्या
	वारंट जारी किया	जारी किया गया	वारंट जारी किए गए	8
110	गया था			

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प सं. तारीख (दिन/मास/वर्ष)* द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में उसके अधीन बनाए गए नियमों और उसके प्रासंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। इस प्ररूप में और उसके उपाबंधों में जो कुछ भी कथन किया गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु की कोई भी जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है। द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

*पदनाम

(निदेशक/प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

व्यवसाय करने वाले वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र

मैं (वृत्तिक का नाम/श्रेणी) घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों के उपाबंधों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है, और इस प्ररूप की कोई भी सूचना सामग्री छिपाई नहीं गई है।

मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि:

 शेयर वारंट के रिकॉर्ड, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा ठीक से तैयार किए गए हैं, हस्ताक्षरित किए गए हैं और अनुरक्षित किए गए हैं और इन्हें व्यवस्थित पाया गया है;

2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से संलग्न हैं।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
वृत्तिक का प्रवर्ग

चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)

लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)

कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

* सहयुक्त या अध्येता है:

सहयुक्त 🔿 अध्येता 🔾

सदस्यता संख्या

व्यवसाय संख्या प्रमाण पत्र

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या कथन/ प्रमाण पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और फाइलिंग कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है।

> प्ररूप पीएएस-8 (लंबित शेयर वारंट के धारकों के लिए नोटिस) [नियम 9(2)(ख)]

> > सूचना

कंपनी का नाम _____

कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 9(2) (ख) के अनुसार, शेयर वारंट के प्रत्येक धारक को संबंधित शेयर वारंट को संबंधित कंपनी के पास अभ्यर्पित करना अपेक्षित है ताकि वारंट को विभौतिकीकृत रूप में शेयरों में परिवर्तित किया जा सके। तदनुसार, शेयर वारंट के प्रत्येक धारक को _____ (कंपनी का नाम) द्वारा संबंधित शेयर वारंट को विभौतिकीकृत रूप में शेयरों में संपरिवर्तन के लिए संबंधित कंपनी के साथ अभ्यर्पित करने के लिए नोटिस दिया जाता है.

यदि नियम 9(2)(ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शेयर वारंट अभ्यर्पित नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी वारंट को शेयरों में परिवर्तित करेगी और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित करेगी।

ह/-

(कंपनी का नाम) _____ की ओर से।"।

[फा.सं. 1/21//2013-सीएल-V]

(इन्द्र दीप सिंह धारीवाल) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 251(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 37(अ) तारीख 20 जनवरी, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, dated the 2.7. October, 2023

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by section 29 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules) rule 9 shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(2) Every public company which issued share warrants prior to commencement of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and not converted into shares shall, -

(a) within a period of three months of the commencement of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2023 inform the Registrar about the details of such share warrants in Form PAS-7; and

(b) within a period of six months of the commencement of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2023, require the bearers of the share warrants to surrender such warrants to the company and get the shares dematerialised in their account and for this purpose the company shall place a notice for the bearers of share warrants in Form PAS-8 on the website of the company, if any and shall also publish the same in a newspaper in the vernacular language which is in circulation in the district and in English language in an English newspaper, widely circulated in the State in which the registered office of the company is situated.

(3) In case any bearer of share warrant does not surrender the share warrants within the period referred to in sub-rule (2), the company shall convert the such share warrants into dematerialised form and transfer the same to the Investor Education and Protection Fund established under section 125 of the Act."

3. After rule 9A of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"9B. Issue of securities in dematerialised form by private companies:- (1) Every private company, other than a small company, shall within the period referred to in sub-rule (2) -

(a) issue the securities only in dematerialised form; and

(b) facilitate dematerialisation of all its securities,

in accordance with provisions of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and regulations made thereunder.

(2) A private company, which as on last day of a financial year, ending on or after 31st March, 2023, is not a small company as per audited financial statements for such financial year, shall, within eighteen months of closure of such financial year, comply with the provisions of this rule.

(3) Every private company referred to in sub-rule (2) making any offer for issue of any securities or buyback of securities or issue of bonus shares or rights offer, after the date when it is required to comply with this rule, shall ensure that before making such offer, entire holding of securities of its promoters, directors, key managerial personnel has been dematerialised in accordance with the provisions of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and regulations made thereunder.

(4) Every holder of securities of the private company referred to in sub-rule (2),-

(a) who intends to transfer such securities on or after the date when the company is required to comply with this rule, shall get such securities dematerialised before the transfer; or

(b) who subscribes to any securities of the concerned private company whether by way of private placement or bonus shares or rights offer on or after the date when the company is required to comply with this rule shall ensure that all his securities are held in dematerialised form before such subscription.

(5) The provisions of sub-rules (4) to (10) of rule 9A shall, mutatis mutandis, apply to the dematerialisation of securities under this rule.

(6) The provisions of this rule shall not apply in case of a Government company.".

4. In the Annexure to the said rules, after the Form PAS-6, the following Forms shall be inserted, namely:-

"Form PAS-7 (Details of pending share warrants) [Rule 9(2)(a)]

Name of the Company:

CIN:

Details of pending share warrants issued prior to the commencement of Companies Act, 2013 (18 of 2013):-

(For each approval of Central Government in case the approval was sought on more than one occasion)

to whom share	against which share	Distinctive number of shares against which share warrant issued	Number of shares involved

Declaration

I ______am authorised by the Board of Directors of the Company *vide* resolution number ______* dated (DD/MM/YYY)* to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is also certified that whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed.

To be digitally signed by

*Designation

(Director/Managing Director/Manager/Company Secretary/Chief Executive Officer/Chief Financial Officer)

*Director identification number (DIN) of the Director; or DIN or Permanent Account Number of the Manager or Chief Executive Officer or Chief Financial Officer; or Membership number of the Company Secretary

Certificate by practicing professional

I further certify that:

1. The records of share warrant have been properly prepared, signed by the required officers of the company and maintained and were found to be in order;

2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

* To be digitally signed by Category of professional

Chartered accountant (in whole-time practice)

Cost accountant (in whole-time practice)

Company secretary (in whole-time practice)

* Whether associate or fellow:

Associate O Fellow O

Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of sections 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company.

Form PAS-8 (Notice for bearers of pending share warrants) [Rule 9(2)(b)]

Notice

Name of the Company

Pursuant to rule 9(2)(b) of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, every bearer of share warrants is required to surrender the relevant share warrants with the company concerned for conversion of warrants into shares in the dematerialised form.

Accordingly, notice is hereby given to every bearer of share warrant by ______ (name of the company) to surrender the relevant share warrants with the company for conversion of such warrants into shares in the dematerialised form.

In case, the share warrants are not surrendered within the period referred to in rule 9(2)(b), the company shall convert the share warrants into shares and transfer the same to Investor Education and Protection Fund established under section 125 of the Companies Act, 2013.

*

Sd/

On behalf of _____ (Name of the Company).".

F.NO. 1/21/2013-CL-V

(Inder Deep Singh Dhariwal) Joint Secretary to the Government of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 37(E), dated the 20th January, 2023.